



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 27.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत नगर सर्किल में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र धारक अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा दिनांक 26.05.2021 को गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर की सूचना पर इण्डियन फिलीग स्टेशन धरौन रोड़ के पास ग्राम धरौन से अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र राम गोपाल राठौर उम्र 48 वर्ष नि० ग्राम गंज थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 1 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 151/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – थाना कबरई ।

1. उ सुरेन्द्र शुक्ला 0नि०
2. हेराजेश कुमार 0कां०
3. कां० अवनेश कुमार
4. कां० संजय कुमार

गिरफ्तारी का स्थान:-

इण्डियन फिलीग स्टेशन धरौन रोड़ से 50 गज पहले ग्राम धरौन



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

मूलचन्द्र पुत्र राम गोपाल राठौर उम्र 48 वर्ष नि० ग्राम गंज थाना कबरई जनपद महोबा ।

बरामदगी...।

1 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद...



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 27.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा टीम ने गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराया व बचायी जान...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के सफल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में आज दिनांक 27.05.2021 को **SHO** कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह को सूचना प्राप्त हुयी कि एक बोलेरो गाडी पेड़ से टकरा गयी है जिसमें कई लोगों को गम्भीर चोटें आयी हैं व तड़प रहे है, इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुये **SHO** कोतवाली बलराम सिंह मय हमराम कर्मियों के साथ घटना स्थल पर रवाना हुये, मौके पर जाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि सभी बोलेरो सवार **निवासी-** गांधीग्राम तहसील व थाना जतारा जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) के हैं जो कि जनपद प्रयागराज से गंगा स्नान कर के लौट रहे थे, जिसमें बोलेरो चला रहे ड्राइवर नारायणदास कुशवाहा को नींद आ गयी व बोलेरो गाडी पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 4 महिलाएं व 2 पुरुष घायल हो गए जिन्हें थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम द्वारा तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज हेतु जिला अस्पताल महोबा में भर्ती कराते हुये तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया, जिससे सभी की जान बचायी जा सकी। पुलिस टीम द्वारा सभी के परिजनों को इसकी सूचना भी दी गयी, पुलिस टीम के इस सराहनीय कार्य की आमजन ने व घायलों के परिजनों द्वारा प्रशंसा की गयी व सभी ने महोबा पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया।



थाना कोतवाली पुलिस टीम का विवरण...।

1. **SHO** श्री बलराम सिंह
2. उ०नि० राहुल पाण्डेय
3. का० अजीत
4. का० के०पी०
5. का० मनीष
6. म०का० रीना सिंह



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 27.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



30 लीटर अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ताओं को अजनर पुलिस ने किया गिरफ्तार



आज दिनांक 27.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र0नि0 अजनर अभिमन्यू यादव द्वारा गठित पुलिस/आबकारी टीम द्वारा 02

नफर अभियुक्ता 1. श्रीमती माया पत्नी रोहित कबूतरा उम्र 35 वर्ष 2. श्रीमती रीना पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 25 वर्ष, नि0गण कबूतरा डेरा ग्राम खोई थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, **जिनके कब्जे से 15-15 (30 लीटर) अवैध कच्ची शराब बरामद की गई।** अभियुक्तागणों के विरुद्ध थाना हाजा पर **मु.अ.स. 97/21 व 98/21 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओं का विवरण:-

1. श्रीमती माया पत्नी रोहित कबूतरा उम्र 35 वर्ष
2. श्रीमती रीना पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 25 वर्ष
नि0गण कबूतरा डेरा ग्राम खोई थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस/आबकारी टीम का विवरण:-

1. HCP श्री बृजविहारी भोड़ले थाना अजनर
2. का. चन्दन पांचाल
3. पीआरडी रामदेवी
4. आबकारी निरीक्षक श्री योगेश कुमार गुप्ता
5. आ.का. मुस्ताक उल्ला



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 27.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके लोगो को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई...



आज दिनांक 27.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने एवं लोगो को कोविड-19 के प्रति जागरुक करने के क्रम में सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल एवं जनपदीय थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके ग्रामवासियों/क्षेत्रवासियों को कोविड-19 से बचाव हेतु लोगो से मास्क लगाने, हाथो को समय-समय पर पानी/साबुन से धोते रहने, 02 गज की दूरी बनाये रखने एवं अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई एवं

संक्रमण के लक्षण होने पर तुरन्त जाँच करवाने व डाक्टर से सलाह लेने को कहा गया।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **52 ई-चालान व** कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **48 व्यक्तियों से 9900/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

